NT>

12.05 hrs.

SHRI KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Sir, matters under Rule 377 can also be laid on the Table!

MR. SPEAKER: Yes, they can be laid with the consent of the House.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

Title: Need to ensure that wheat is supplied to the people of Rajasthan at highly subsidized rate in view of unprecedented drought in the State - Laid.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, राजस्थान चौथे भयंकर अकाल की विभिाका को झेल रहा है। काम के अभाव में ग्रामीण जनता पलायन को मजबूर है। नाम मात्र के राहत कार्य चल रहे हैं। काम के अभाव में जनता की क्रय शक्ति खत्म हो गयी है।

वर्तमान में गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे जीवन-यापन करने वालों को दी जाने वाली गेंहू का रेट कम है व गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये जाने वाले गेंहू का रेट ज्यादा क्रय शक्ति के अभाव में आम आदमी इस रेट पर गेंहू खरीदने में अक्षम है। क्योंकि आज जो वर्तमान राजस्थान के हालात हैं, सभी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र में एक ही रेट, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को गेंहू दिया जा रहा है, उसी रेट से समस्त उपभोक्ताओं से गेंहू की कीमत वसूली जाये।

* Treated as laid on the Table of the House